कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2020/ 1125 दिनांक :06/02/2020

।। विज्ञप्ति ।।

टोंक न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों मे रिक्त चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध 03 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)55/16/1296 दिनांक 30.01.2020 की पालना में राजस्थान सरकार कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र कमांकः एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2020 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने मे से जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाएं ली जानी है।

शर्तेः-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नही होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नही की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जावेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नही किया जावेगा।
6. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारुप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 15.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिश अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी जिला न्यायालय की वेवसाईट districts.ecourts.gov.in/tonk पर एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र(एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओं की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न है)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2020/ 1126-1133 दिनांक :06/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलेक्टर, टोंक को समस्त विभागों/PSUs में सूचित करने हेतु।
5. टोंक न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय ....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, टोंक को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक (राज.)

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारुप ।।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्मतिथि : ....
4. पता : ....
   ....
   ....
5. आयु (दिनांक 15.02.2020 को) : .... वर्ष ....माह ....दिन
6. अर्हताएं : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....
   ....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) : ....
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है) : ....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) : ....
13. विभागध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार है) : ....

हस्ताक्षर प्रार्थी मय दिनांक
एवं पता (मो.नं.सहित)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये बन्धपत्र

मैं .... पुत्र .... निवासी .... विभाग में .... के पद पर कार्यरत रहा हूँ तथा दिनांक .... को उपर्युक्त विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं. एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में टोंक न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समेकित पारिश्रम के आधार पर अपनी सेवायें देने हेतु सहमत हूँ तथा वचन देता हूँ कि राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समस्त नियमों एवं शर्तो से आबद्ध रहूँगा और इनका पालन करूंगा।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नी..............................जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती/सुश्री.......................................की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती/सुश्री ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन . ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती/सुश्री.............................. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और सेवानिवृत्ति के समय उक्त के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

Scanned by CamScanner